

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या -382/2024

वान :

दर्शना देवी पत्नी शिवभगवान जाति अग्रवाल निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
वादीया

बनाम

1. रेणू पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कान्ता देवी पत्नी देवदास जाति अग्रवाल निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग

:- वादीया

2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 11/12/25



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 9 एफटीपी के प० न० 201/247 मु० 8 किलानं० 15/1/.045 है०, 15/3/.038 है० मय गै० मु० आराजी कुल .083 है० आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता हाजा में से प्रतिवादीया सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.एस.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी